



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 10]

नई दिल्ली, मई 15—मई 21, 2011, शनिवार/वैशाख 25—वैशाख 31, 1933

No. 10]

NEW DELHI, MAY 15—MAY 21, 2011, SATURDAY/VAISAKHA 25—VAISAKHA 31, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 2011

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में आशुलिपिक श्रेणी-2 (तत्कालीन आशुलिपिक श्रेणी-3), के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान.—

उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

4. निरर्हताएं—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन पर सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-2	105* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को 40 वर्ष तक छूट तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की दशा में 05 वर्ष और छूट दी जा सकेगी) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष



(8)

## 2. कौशल परीक्षा के मानदंड

श्रुतिलेख : 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट

लिप्यांतरण :

50 मिनट (अंग्रेजी)/65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(11)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(12)

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती ।

लागू नहीं होता ।

टिप्पण : पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी के कारण उत्पन्न रिक्ति को केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं तथा स्लैब 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता को पूरा करते हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :

लागू नहीं होता ।

1. महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय के अधीन अन्य कार्यालयों के पदों के लिए :

- |   |          |
|---|----------|
| (i) रक्षा लेखा नियंत्रक/संयुक्त रक्षा लेखा नियंत्रक   | —अध्यक्ष |
| (ii) रक्षा लेखा उप नियंत्रक/रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक | —सदस्य   |
| (iii) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी                            | —सदस्य   |

2. महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय के लिए :

- |   |          |
|---|----------|
| (i) ज्येष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक/रक्षा लेखा उप महानियंत्रक | —अध्यक्ष |
| (ii) रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक                               | —सदस्य   |
| (iii) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी                                      | —सदस्य   |

[फा. सं. एफ 9(9)/सी/2010].

वीना प्रसाद, अपर वित्तीय सलाहकार व संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 6th May, 2011

S.R.O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II (erstwhile Steno-III) Ministry of Defence in the Defence Accounts Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, shall be eligible for appointment to the said post :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Steno-grapher Grade-II	105* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	Central Service, Group C Non-Gazetted, Ministerial	PB-1, (Rs. 5200—20200), Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	18—27 years. (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government and further relaxation for five years as in the case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(8)				(9)		(10)
1. 12th Class Pass or equivalent from a recognised Board or University.				Not applicable		Two years



(8)

## 2. Skill Test Norms :

Dictation : 10 mts @ 80 w.p.m.

Transcription : 50 minutes (English)

65 minutes (Hindi) (On Computer).

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

(12)

Direct recruitment through Staff Selection Commission.

Not applicable

Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column-8.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee and for confirmation :—

Not applicable.

1. For Posts in other offices under the Controller General Defence Accounts Office.

- (i) Controller of Defence Accounts/Joint Controller —Chairman of Defence Accounts
- (ii) Deputy Controller of Defence Accounts/ —Member Assistant Controller of Defence Accounts
- (iii) Senior Accounts Officer —Member

2. Controller General Defence Accounts Office

- (i) Senior Deputy Controller General of Defence —Chairman Accounts/Deputy Controller General of Defence Accounts
- (ii) Assistant Controller General of Defence Accounts —Member
- (iii) Senior Accounts Officer —Member

[F.No. 9(9)/C/2010]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

नई दिल्ली, 9 मई, 2011

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तोपखाना महानिदेशालय (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2, भोजनालय पर्यवेक्षक और जमादार सफाईवाला) (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तोपखाना महानिदेशालय (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2, भोजनालय पर्यवेक्षक और जमादार सफाईवाला) (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तोपखाना महानिदेशालय (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2, भोजनालय पर्यवेक्षक और जमादार सफाईवाला) (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में :—

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
(वित्त प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 19/5/2018

का0नि0आ0 30 .....राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 में, (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर। ---- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होंगे, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों, की अनुसूची के, स्तम्भ (4) के स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक, स्तम्भ और प्रविष्टियां स्तम्भ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 4
(25500-81100 रु.)"

[एफ. सं. 9(9)/सी/2017]

(अ.के. कर्ण)

संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड-4 तारीख 06 मई, 2011 में का.नि.आ. सं. 33, तारीख 21 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।



Government of India  
Ministry of Defence  
(Finance Division)

Notification

New Delhi, the 19/5/2018.

30  
S.R.O.----- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2011, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule."

3. In the Schedule to the said rules, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
(4)
Level 4 (Rs.25500- 81100)."

[F.No.9(9)/C/2017]

*R.K. Karnal*  
(R.K. Karnal)

Additional Financial Advisor and Joint Secretary

Note:- The principal rules dated the 06<sup>th</sup> May, 2011 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 33 dated the 21<sup>st</sup> day of May 2011.